मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक /एफ 12–04/2018/17/मेडि–1 भोपाल,दिनांक 19 /05/2018

प्रति,

1– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्य प्रदेश ।

2– समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश ।

विषयः– **विभागीय जॉच अधिकारी व्दारा जारी नोटिस की तामिली के संबंध में ।**

संदर्भः– शासन का परिपत्र क्रमांक एफ 12–04/2017/मेडि–1 भोपाल दिनांक 02.08.2017,दिनांक 30.01. 2018 एवं दिनांक 01.05.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्रों व्दारा पदस्थापना स्थल से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के 3 माह से अधिक समय से अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी चाही गई थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित चिकित्सकों को आरोप पत्र जारी किंये गये थे जिनकी तामिली प्राप्त होने के उपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी एवं कुछ चिकित्सकों के विरूध्द विभागीय जॉच संस्थित की गई है।

विभागीय जॉच प्रकरणों में विभागीय जॉच अधिकारी व्दारा संबंधित विशेषज्ञों /चिकित्सकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये है। जारी किये गये नोटिस में आपको इस निर्देश के साथ पृष्टांकित किये गये हैं कि संबंधित चिकित्सकों को निर्धारित तिथि को विभागीय जॉच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस तामिल कराये जावे एवं एक प्रति शासकीय सेवक के हस्ताक्षर सहित विभागीय जॉच अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के लिए सुनवाई हेतु नियत दिनांक के पूर्व तामिली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित चिकित्सकों को जारी किये गये नोटिस विभागीय वेबवाईट पर अपलोड किय गये है।

कृपया विभागीय जॉच अधिकारी व्दारा जारी नोटिस की प्रति सभी संबंधितों को उक्तानुसार समय पर तामिल करवाकर तामिली प्रतिवेदन सुनवाई की नियत तिथि के पूर्व विभागीय जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

––2––

पृ0क्रमांक /एफ 12–04/2018/17/मेडि–1 भोपाल,दिनांक 16 /05/2018
प्रतिलिपि :– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

2– अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।

3– समस्त क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. ।

4– स्टाक फाइल ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,